

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०-प्र०२/विद्युत धारा -44/2003-...15.....

पटना, दिनांक-28/5/13.....

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-176 के अन्तर्गत गठित "अपीलीय प्राधिकार को अपील नियमावली-2004" के नियम-3 के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम की धारा-127 के अन्तर्गत अपील करने हेतु सभी जिलों के अपर समाहर्ताओं को संबंधित जिलों के लिए अपीलीय प्राधिकार नियुक्त किया जाता है।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. इस क्रम में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-01 दिनांक 07.01.2010 को विलोपित किया जाता है।
4. इस पर मा० मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(संदीप पौण्डरीक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि—उप सचिव, प्रेस (ई-गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रण हेतु (सी०डी० एवं दो हार्ड प्रति के साथ) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-...2782.....

पटना, दिनांक.28/5/13.....

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव/राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलडिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लि०, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी, पटना/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/मुख्य विद्युत अभियन्ता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
28/5/13